

विभागीय जानकारी का इंटरनेट पर स्व-सक्रिय प्रकटीकरण सूचना का अधिकार अधिनियम 2005  
की धारा 4(1) क (ख) में निहित प्रावधान के तहत कार्यवाही विवरणः-

1. बिल रजिस्टरः- इस शाखा में कार्यरत कर्मचारियों के वेतन/भत्तों का देयक, कार्यालयीन व्यय, यात्रा भत्ता देयक, अन्य आकस्मिक व्यय संबंधी देयकों की प्रविष्टि की जाती है।
2. बी0टी0आर0- कार्यालयीन कर्मचारियों के वेतन/भत्तों का देयक, कार्यालयीन व्यय, यात्रा भत्ता देयक, अन्य आकस्मिक व्यय संबंधी देयकों को बी0टी0आर0 पंजी में दर्ज कर कोषालय में आहरण हेतु प्रस्तुत की जाती है।
3. सेवा पुस्तिका- 20 सूत्रीय शाखा में पदस्थ कुल 13 लिपिकों की सेवा पुस्तिका संधारित है।
4. पासबुक- 20 सूत्रीय शाखा में पदस्थ कुल 13 लिपिकों की पासबुक संधारित है जिसमें कर्मचारियों के सामान्य भविष्यनिधि की राशि की कटौती की प्रविष्टि की जाती है।
5. वेतन वृद्धि पंजी- कर्मचारियों को प्रति वर्ष स्वीकृत किये जाने वाली वेतनवृद्धि की प्रविष्टि की जाती है।
6. अनाज अग्रिम- अनाज अग्रिम पंजी संधारित है। किसी भी कर्मचारियों द्वारा अनाज अग्रिम नहीं लिया जा रहा है।
7. त्यौहार अग्रिम पंजी- कर्मचारियों द्वारा लिया गया त्यौहार अग्रिम की वसूली की राशि इस पंजी में प्रतिमाह प्रविष्टि की जाती है।
8. सामान्य भविष्य निधि कटौती पंजी- पंजी संधारित है। कर्मचारियों द्वारा ली गई अग्रिम की प्रविष्टि पंजी में की जाती है।
9. चेक रजिस्टर- पंजी संधारित है। चेक प्रदाय की नियमित रूप से प्रविष्टि की जा रही है।
10. पेंशन प्रकरण- वर्तमान में पेंशन का एक भी प्रकरण लम्बित नहीं होना पाया गया है।
11. यात्रा भत्ता भुगतान पंजी- पंजी संधारित है। कर्मचारियों द्वारा ली गई यात्रा भत्ता देयक की प्रविष्टि पंजी में की जा रही है।
12. चिकित्सा प्रतिभूति पंजी- पंजी संधारित है।
13. वेतन रोक पंजी- पंजी संधारित है।
14. आबंटन पंजी- पंजी संधारित है। शासन से प्राप्त आबंटन की इस पंजी में प्रविष्टि की जाती है।
15. पुस्तक क्रय पंजी- कार्यालयीन उपयोग हेतु शासकीय पुस्तकों की क्रय कर प्रविष्टि की जाता है।
16. लेखन सामग्री पंजी/कम्प्यूटर क्रय पंजी- कार्यालयीन उपयोग हेतु लेखन सामग्री क्रय कर लेखन सामग्री पंजी में प्रविष्टि की जाती है। कार्यालयीन कार्य हेतु कम्प्यूटर क्रय कर इस पंजी में प्रविष्टि की गई है।



**बैठक:-**

शासन के निर्देशानुसार अल्पसंख्यक कल्याण समिति की बैठक प्रति तीन माह में आयोजित किया जाना है। एवं 15 सूत्रीय अल्पसंख्यक समिति की बैठक प्रति तीन माह में आयोजित किया जाना है।

वर्तमान में दोनों समिति की अवधि तीन वर्ष पूर्ण होने के कारण क्रमशः सितम्बर 2016 एवं नवम्बर 2016 को समिति भंग किया गया है। उक्त संबंध में सर्व अ0वि0अधिकारी (रा0) एवं सहायक आयुक्त आदिम जाति कल्याण विभाग जगदलपुर से समिति गठन हेतु सदस्यों के नाम प्रस्तावित करने हेतु सूची मांगी गई है जो अप्राप्त है। सूची प्राप्त होने पर समिति गठन की कार्यवाही पूर्ण की जावेगी तथा नियमित बैठक आयोजित किया जावेगा।

**सामान्य:-**